झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

मदरसा परीक्षा (आलिम,आलिम(प्र.) एवं फाजिल), 2020 के लिए पंजीयन एवं परीक्षा आवेदन प्रपत्र जमा करने हेतु आवश्यक सूचना

विज्ञप्ति संख्या - 09/2021

एतद् द्वारा मदरसा में वर्ग आलिम से फाजिल तक की परीक्षा 2020 में सम्मिलित होने वाले सभी छात्र–छात्राओं, उनके अभिभावकों, मदरसा के प्रधान मौलवियों एवं संबंधित पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि पंजीयन एवं परीक्षा आवेदन प्रपत्र दिनांक 04.03.2021 से स्वीकार करने का निर्णय परिषद् द्वारा लिया गया है। सादा पंजीयन एवं परीक्षा आवेदन प्रपत्र परिषद् के वेबसाइट www.jac.jharkhand.gov.in पर उपलब्ध होगा, जिसे डाऊनलोड कर संबंधित मदरसा प्रधान छात्र/छात्राओं को हस्तगत कराना सुनिश्चित करेंगे। पंजीयन एवं परीक्षा आवेदन प्रपत्र ऑफलाइन माध्यम से परिषद् कार्यालय, रांची तथा संथाल परगना प्रमण्डल के जिलों के लिए क्षेत्रीय कार्यालय, दुमका में निम्न कार्यक्रम के अनुसार जमा होंगे:–

	पंजीयन एवं परीक्षा आवेदन प्रपत्र शुल्क सहित जमा करने की अन्तिम तिथि
विलम्ब शुल्क रहित	10.03.2021 तक
विलम्ब शुल्क सहित	17.03.2021 तक

पंजीयन तथा परीक्षा आवेदन संबंधी विस्तृत निर्देश तथा शुल्क संबंधित विवरणी परिषद् के वेबसाइट पर अपलोड है, जिसका अवलोकन करते हुए उसका अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे। सभी विहित शुल्क बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से **JAC FUND** के नाम से देय एवं राँची तथा दुमका में भुगतेय होगा। नगद भुगतान किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा। डाक द्वारा भेजा गया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

आवश्यक निर्देश:-

1. सादा पंजीयन एवं परीक्षा आवेदन प्रपत्र परिषद् के वेबसाइट से डाऊनलोड कर सभी संबंधित छात्र/छात्राओं को हस्तगत कराना तथा भरे हुए पंजीयन एवं परीक्षा आवेदन प्रपत्र मदरसा में प्राप्त करने की जिम्मेवारी मदरसा प्रधान की होगी।
2. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मदरसा प्रधान सभी भरे हुए पंजीयन एवं परीक्षा आवेदन प्रपत्र ससमय संबंधित परिषद् कार्यालय को शुल्क सहित हस्तगत कराना सुनिश्चित करेंगे।
3. पंजीयन एवं परीक्षा आवेदन प्रपत्र अलग–अलग बण्डलों में पैक किए जायेंगे। उक्त का समेकित विवरणी तैयार कर (दो प्रतियों में) संलग्न करना आवश्यक होगा।
4. पंजीयन एवं परीक्षा आवेदन प्रपत्र में रंगीन (Colour) फोटो ही चिपकायेंगे।
5. Non-Collegiate छात्र/छात्राओं को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए परिषद् से अनुमति लेना अनिवार्य है। जिसका डाटा अलग तैयार करना है। Non-Collegiate छात्र/छात्राओं को परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरते समय न्यायालय द्वारा इस आशय का शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा कि इस बीच किसी अन्य संस्था से शिक्षा ग्रहण नहीं किए है। साथ ही सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवसीय एवं आचरण प्रमाण–पत्र भी आवश्यक होगा।
6. **निर्धारित तिथि के पश्चात् किसी भी परिस्थिति में पंजीयन/परीक्षा आवेदन प्रपत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।**

अध्यक्ष के आदेश से,
ह./- (महीप कुमार सिंह)
सचिव,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/मदरसा/4517/16/SECY/136/21
Dt. 03.03.2021
D.O.P. 04.03.2021